information to the hon. Member right now. However, I will be able to pass on this information to the hon. Member along with the report of the Forest Survey of India, 1997 which is published from year to year. I will be very happy to supply this copy to the hon. Member.

\*263. [The questioner (Shri Raj Nath Singh) was absent. For Answer vide Col. 23 infra.]

\*264. [The questioner (Shri Bangaru Laxman) war absent. For Answer vide Col. 24 infra]

\*265. [The questioner (Shri Vayalar Ravi) was absent. For Answer vide col. 25 infra.]

## Amendments in the Rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan

\*266. SHRI GOVINDRAM MIRI: SHRI RAGHAVJI:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether Rules 3(b) and 19(9), respectively, of the Memorandum of Association and Rules of the Kendriya Vidyalaya Sangathan have since been amended/scrapped;
- (b) if so, the details of the meeting of the KVS and its Board of Governors when/wherein such a decision had been arrived at; and
  - (c) the need and justification therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI (a) to (c) A statement is laid on the table of the Sabha.

(a) to (c) A decision was taken by the Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) in their meeting held on 6th September, 1993, to delete Rule 3(b) and amend Rule 19(9) of the Memorandum of Association and Rules of the Kendriya Vidyalaya Sangathan. This decision was subsequently approved by the General Body of the KVS in its meeting held on 9th February, 1994.

Rule 3(b) provided for the Government of India to appoint any person or persons to be Member or Members of the Sangathan. Under this provision, any number of nominations could be made and therefore it was an opended

provision. The Board of Governors in its meeting on 6th September, 1993, while considering a proposal from the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, to provide nomination of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the General Body of the Sangathan and its Board of Governors, resolved to delete Rule 3(b) and suitably amend Rule 3(a) in order to provide for nominations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the General Body of the Sangathan. Deletion of Rule 3(b) has done away with the open ended nature of the provisions for nominations, thereby preventing the Sangathan from being unwieldy.

Rule 19(9) which provided for nomination of one or more members of the Sangathan by Government of India in the Board of Governors was amended to ensure that such nominations would include at least one member from Scheduled Castes and one from Scheduled Tribes community.

श्री राघवजी: सभापित जी, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि संशोधन करके जो नामांकित सदस्य होते थे उन सदस्यों को हटा दिया गया हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बोर्ड ऑफ गवर्नेस की मीटिंग में तय हुआ था कि संगठन में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होगा और प्रतिनिधित्व देने के लिए वह कण्डिका जोड़ी गई थी जिसमें कि वे नामांकित किए जा सकते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अध्यापको की उनके संगठन में कोई उपयोगिता नहीं समझी गई? क्या उसका वैलयूएशन किया गया और उसके बाद वह कलॉज हटाई गई?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, इस संगठन के बारे में हमारे ह्यूमैन रिसोर्सेस डेवलपमेंट की पार्लियामेंट्ररी स्टैडिंग कमेटी ने 1993 में एक सिफारिश की थी कि इस बोर्ड में एक शैड्यूल्ड कास्ट और एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य होना अनिवार्य हैं। इस आलोक में बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक में, जहां अध्यापकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया गया कि इस संगठन के नियमों में संशोधन कर दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि ये सभी अध्यापक सदस्य भी जो उसके सदस्य थे वह भी उस समय मीटिंग

में उपस्थित थे और उन सब ने मिलकर के इस संगठन की नियमावली में से नियम 3(ख) को निरस्त किया और नियम 19(9) में संशोधन किया। उसके बाद बोर्ड ने यह फैसला किया कि इसमें एक शैड्युल्ड कास्ट और एक शैड्युल्ड ट्राइब्स सदस्य को रखा जाए। तत्पश्चात एक और संशोधन हुआ जिसमें यह कहा गया कि एक शैड्युल्ड कास्ट, एक शैड्युल्ड ट्राइब्स और एक महिला सदस्य होगी। अब केवल एक स्थान बचता हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर अध्यापक संघ अपने एक शिक्षाविद का चयन करके भेज दे और सरकार उसको शामिल कर लेगी। क्योंकि बोर्ड के नियमानुसार हम केवल चार शिक्षाविदों को शामिल कर सकते हैं। उसमें तीन शिक्षाविद् एक शैड्यूल्ड कास्ट, एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स और एक महिला क्षेत्र से बोर्ड के नियमों में प्रस्तावित हैं,स्वीकृति है और एक स्थान खाली है। अगर माननीय सदस्य अपने इन सहयोगियों के साथ यह तय करा दें और एक शिक्षाविद अध्यापकों की तरफ से चुनकर भेज दें, हम उसे शामिल कर लेंगे।

श्री राघवजी: सर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया हैं मैं समझता हूं कि उसमें शायद कुछ अन्तर प्रतीत होता हैं क्योंकि धारा 3(ए) तथा 18 में पहले से ही एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला सदस्य तथा एक अन्य सदस्य हैं, वह एक अलग क्लॉज हैं और मैं 36(बी) की बात कर रहा हूं जिसके अंतर्गत अध्यापकों के प्रतिनिधि हुआ करते थे और छह प्रतिनिधि थे। यह तो इसमें पहले से ही समावेश किया गया हैं। इसके अलावा भी 1998 में जो उत्तर दिया गया हैं और जिसमें वर्तमान में जो सदस्य मौजूद रहे हैं उसमें श्री अमर सिंह जी ओर अन्य सदस्य भी हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार शायद आज भी कार्यरत हैं। वे काफी अधिक संख्या में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस हैसियत से सदस्य हैं? और अगर वह अलग प्रावधान हैं तो उसमें तो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह पृथक से जो अनुबन्ध था वह वैसा का वैसा रहने दिए जाए तभी उसमें एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व हो सकता हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सर, ये दोनो नियम (3 बी) और 19(9) के बारे में जिस मीटिंग की चर्चा की गई हैं, उसमें वह सारे प्रतिनिधि उपस्थित थे, अध्यापको के प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनकी जानकारी में, उनकी सहमति से, सर्वानुमित से ही नियम बदले गए हैं। अब जो स्थिति है वह केवल 4 शिक्षाविदों की नियुक्ति करने की

हैं जिसमें से तीन श्रेणियां निश्चित हैं और एक बचती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर उसमें एक शिक्षाविद् अध्यापक संघ की तरफ से आ जाए। मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी।

\*267. [The questioner (Shri Narender Mohan) was absent. For answer vide col. 26 infra]

## सुपर बाजार में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

- \*268 श्री चुन्नी लाल चौधरी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले में मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सुपर बाजार, नई दिल्ली में इसकी स्थापना के समय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सभी श्रेणियों के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया गया हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.
- (ख) क्या पदोन्नतियों में भी आरक्षण नीति का पालन किया गया हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:
- (ग) सुपर बाजार में भारत सरकार के संगत आदेशों के अन्तर्गत रोस्टर प्रणाली लागू न करने के क्या कारण हैं तथा भावी योजना क्या हैं; और
- (घ) इसके अध्यक्ष द्वारा ए.जी.एम. स्तर का एक अधिकार जिसे करोड़ो रूपये के घोटाले के लिए 10 दिन पहले ही चार्जशीट दी गयी थी, किन नियमों के अन्तर्गत डी.जी.एम. के पद पर नियुक्त किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया हैं।

## विवरण

(क) से (घ) (के) से (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया हैं कि 1984 में जब सुपर बाजार के भर्ती और प्रोन्नित नियम लागू हुए थे, तब उन्होंने कुल पदों के 7.5% पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से प्रत्येक के लिये आरक्षित कर दिए थे सुपर बाजार की प्रबंध समिति ने उपर्युक्त नियमों में 6.10.98 को संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। तथापि, सुपर बाजार में अधिशेष कर्मचारियों के कारण 9.3.1988 को गयी भर्ती पर रोक लगा दी थी। रोक लगाये जाने के बाद सुपर बाजार ने